मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 196 / 2025

1. भोजाराम 2. प्रेमप्रकाश	पिसरान बालूराम पुत्र रूड़ाराम	जाति मेघवाल
3. सोहनलाल 4. हेतराम	पिसरान खेताराम पुत्र बालूराम	साकिन बड़ोपल
5. तेजाराम 6. कानाराम	पिसरान तहसील पीलीबंगा मोटाराम पुत्र बालूराम	जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादीगण

ब नाम

1. बृजलाल 2. शंकरलाल 3. हेतराम	पिसरान रतनाराम जाति मेघवाल साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।	
4. रामप्यारी	पत्नी महेन्द्र कुमार	जाति मेघवाल
5. जगननाथ 6. देवीलाल 7. पीरूराम	पिसरान महेन्द्र कुमार	साकिन बड़ोपल हाल सादुलशहर तहसील
8. शान्ति देवी	पत्नी मनफुल पुत्र रतनाराम	सादुलशहर
9. माया 10. कृष्णलाल 11. श्योपतराम	पुत्र पुत्री मनफुल पुत्र रतनाराम	जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।

—प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:33:56 IST
Reason: SelfAttested

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आ[illegible] बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 14/10/2025

वादीगण की ओर से श्री राजेन्द्र पटीर अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 से [illegible] की ओर से श्री शैलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत खाता विभाजन कर राज. का. अधि. की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि –

1. चक 18 जेडडब्ल्यूडी के प.नं. 51/365 (2) किला नं. 1/2, 2 ता 9, 10/2, 12 ता 19, 2012, 21/1, 21/3, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 की 6.198 हैक., प.नं. 52/365 (3) किला नं. 1, 10, 11, 20 में 0.038 की 0.797 हैक. इस प्रकार कुल 6.995 हैक. नहरी/अनकमांड मय गैर मुमकिन खातेदारी में वादी संख्या 1 व 2 की 3.4975 हैक. ब.हि.ब., वादी संख्या सं. 3, 4 की 1.74875 हैक. ब.हि.ब. व वादी संख्या नं. 5, 6 की 1.74875 हैक. ब.हि.ब. का खातेदार काश्ताकार घोषित किया जाता है। रकमराज अलग कायम की जावे।

2. चक 18 जेडडब्ल्यूडी के प.नं. 52/365 (3) किला नं. 2 ता 9, 12 ता 19, 20/. 215, 21 ता 25 की 5.528 हैक., प.नं. 53/365 (4) किला नं. 10/2, 11/1, 20/1, 21/1 की कुल 0.911 हैक. कुल 6.439 हैक. कृषि भूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 को 3/5 हिस्सा ब.हि.ब., प्रतिवादी सं. 4 ता 7 को 1/5 हिस्सा ब.हि. ब. व प्रतिवादीगण सं. 8 ता 11 जो कि मनफुल पुत्र रतनाराम के वारीसान है वाद पत्र में संयोजित है को 1/5 हिस्सा ब.हि.ब. का खातेदार काश्ताकार घोषित किया जाता है। रकमराज अलग कायम की जावे।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 14/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:33:56 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा (हनु.)